रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 269] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 1979/श्रावण 29, 1901

No. 269] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1979/SRAVANA 29, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन एवं परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1979

सा० का० नि० 502 (अ).—कलकत्ता पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 399 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (i), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 869–870 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं ।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1 (1) इन नियमों का नाम कलकत्ता पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कलकत्ता पत्तन का न्यासीमंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी होने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की

निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।'

[सं० पी० जी० एल०-17/79]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 20th August, 1979

G.S.R. 502 (E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 869-70 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 399 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And Whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979 ;

And Whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period afore said ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा० का० नि० 503 (अ)—बम्बई पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के शोधन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 400 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड (3) (i), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 870 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं ।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1 (1) इन नियमों का नाम बम्बई पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बम्बई पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 243 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना:—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।"

[सं० पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R 503 (E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 870 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 400 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.— Not withstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowance, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा० का० नि० 504 (अ).—मद्रास पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 401 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 871 पर प्रकाशित किया गया था, जिस में राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम मद्रास पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन, नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मद्रास पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: —

"3. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, समय (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा ।"

[सं० पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 504(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 871 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 401(E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :—

"3. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State. Notwithstanding anything contained in rule 2, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा० का० नि० 505(अ).—तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 402 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 (1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 871-872 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1979 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"4. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना.—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिये निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।"

[सं० पो० जी०एल०-17/79]

G.S.R. 505(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 871-872 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 402(E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

"4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा०का०नि० 506(अ).—मार्मुगाव न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्ररूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 403(अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 872 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे पास उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम मार्मुगाव न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मार्मुगाव न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना.—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरर्हता निवारण), अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।"

[सं० पो०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 506 (E) :—Whereas the draft of the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 872 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 403 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made vailable to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been eceived from the public before the expiry of the period foresaid;

Now, therefore, in expercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make of the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mormugao Port Trust Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा०का०नि० 507(अ) :—पाराद्वीप न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 404, तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(1), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 872-873 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं ।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम पाराद्वीप न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पाराद्वीप न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा ।"

[सं० पी०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 507 (E) :—Whereas the draft of the Paradip Port Trust, (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963) at page 872-73 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Trasnsport (Transport Wing) No. G. S. R. 404 (E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967 after rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

"4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowances as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be , other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being inforce in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79].

सा०का०नि० 508(अ):—महापत्तन न्यास (न्यासियों की शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 405 (अ), तारीख 25 जून, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3(i), तारीख 25 जून, 1979 के पृष्ठ 873 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 जुलाई, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं ।

और जनता से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व कोई आपत्तियां / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. महापत्तन न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों को अदायगी करना :—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद अथवा राज्य विधायिका का भी सदस्य हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधायिका का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधायिका की सदस्यता के लिये निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।"

[सं० पी०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 508(E).—Whereas the draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979, was published as required by sub-section (2) of Section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at page 873 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated the 25th June, 1979, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 405(E), dated the 25th June, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expire of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd July, 1979;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their prublication in the Official Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5 Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State.—Notwithsanting anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a Member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of Section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79

सा० का० नि० 509(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मद्रास पत्तन के न्यासियों के मण्डल में श्री एम० कल्याणसुन्दरम, संसद सदस्य को न्यासी के रूप में, जो मद्रास पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 302(ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 17 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"18. श्री एम० कल्याणसुन्दरम, संसद सदस्य : पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि।"

[फाइल सं० पीटीबी-43/78]

G.S.R. 509.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoint Shri M. Kalyanasundaram, M.P., as trustee, representing the labour employed in the Port of Madras, on the Board of Trustees of the Port of Madras, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 302(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 17, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

"18. Shri M. Kalyanasundaram, M.P.—Representing the laboure employed in the Port."

[F. No. PTB-43/78]

सा० का० नि० 510 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उसी धारा की उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कोचीन पत्तन के न्यासियों के मण्डल में श्री वयालार रवि, संसद सदस्य को न्यासी के रूप में, जो कोचीन पत्तन में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 304(ई), दिनांक 31 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 14 के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाए, अर्थात् :—

"15. श्री वयालार रवि, संसद सदस्य—पत्तन में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिनिधि ।"

[फाईल सं० पी टी बी-42/78]
विनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby appoint Shri Vayalar Ravi, M.P., as trustee, representing the labour employed in the Port of Cochin, on the Board of Trustees of the Port of Cochin, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wingh) No. G.S.R. 304(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 14, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

"15. Shri Vayalar Ravi, M.P.—Representing the labour employed in the Port".

[F. No. PTB-42/78]
D. K. JAIN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979